संख्या–1015/77–6–20–एल.सी. 04/2018 टी.सी.

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यूपीसीडा/लीडा/सीडा/
यीडा/गीडा/डीएमआईसी–आईआईटीजीएनएल।

औद्योगिक विकास अनुभाग–6 **लखनऊ : दिनांक 12 मई, 2020**

विषयः उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लाजिस्टिक्स नीति 2018 के अन्तर्गत वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स इकाईयों एवं पार्क को उद्योग का दर्जा दिए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिसूचना संख्या–649/77–6–18–एल0सी0 4/18 दिनांक 27 फरवरी, 2018 द्वारा मा0 मंत्रि परिषद के अनुमोदन से प्रख्यापित उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लाजिस्टिक्स नीति 2018 का प्रस्तर 4.2 निम्नवत् हैः–

4.2 लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को उद्योग के रूप में मान्यता– भारत सरकार द्वारा 'इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेटस' हेतु निर्दिष्ट शर्तो को पूर्ण करने वाली वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स इकाइयों को प्रदेश में 'उद्योग' का दर्जा भी प्रदान किया जाए यद्यपि वेयरहाउसिंग के लिए भूमि आवंटन हेतु विकास प्राधिकरणों द्वारा पात्रता शर्तें एवं दर निर्धारित की जाएंगी। विकास प्राधिकरणों द्वारा वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स इकाइयों हेतु 60 प्रतिशत तक की ग्राउण्ड कवरेज की अनुमति भी दी जाएगी।

2– अतः औद्योगिक प्राधिकरणों की औद्योगिक भूमि (Industrial Land) में वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स इकाईयां एवं पार्क अनुमन्य गतिविधि होगी।

3– यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसी वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स इकाईयां एवं पार्क जो औद्योगिक भू उपयोग में अनुमन्य गतिविधि हैं, को प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटन के लिए औद्योगिक दर का 1.5 गुना शुल्क लिया जाएगा। उपरोक्त भूमि की दरें औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधि के लिए आरक्षित क्षेत्रों में आवंटन के लिए ही लागू की जाएंगी। इसलिए ये दरें केवल औद्योगिक सम्पदा के लिए लागू होती हैं, किसी अन्य के लिए नहीं।

4– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्राधिकरणों के मास्टर प्लान एवं बिल्डिंग बाईलाज़ में इस आशय के संशोधन हेतु प्रकरण को अपने–अपने बोर्ड में ले जा कर नीति को ग्रहण करते हुए उक्त प्राविधानों को लागू करें तथा प्रस्तर–3 के अनुसार भूमि आवंटन दरों को भी लागू कराने का कष्ट करें। इस संबंध में शासन से पृथक अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

अतः कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित कराते हुए शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
आलोक
(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1085(1)/77–6–20–एल.सी. 04/2018 टी.सी.तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
2. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. औद्योगिक विकास अनुभाग–4।

आज्ञा से,

(सुजाता शर्मा)
विशेष सचिव।